पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.30/2011

प्रधान कार्यालय,
चर्चगेट, मुंबई.

सं.ई पी 637/0 भाग-VI

दि. 22-02-2011

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज .

प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म., एसो., 'वेस्ट' झोन,मुंबई.

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी एसोसिएशन , मुंबई.

विषय : महिला रेलवे कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली चाइल्ड केयर लीव के संबंध में स्पष्टीकरण ।

****

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 08.02.2011 के पत्र सं.ई (पी एण्ड ए)I-2008/सीपीसी/एल ई-9 (पी सी VI सं.248 और आर बी ई सं..21/2011) की प्रतिलिपी सूचना, मार्गदर्शन व आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

उसमें उल्लेखित रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.10.2010 पत्र को इस कार्यालय के 20.10.2010 (पी एस सं.151/2010) के अंतर्गत परिपत्रित किया गया है ।

संलग्न : यथोक्त

(एस कदेमणी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यों को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 08.02.2011 के पत्र सं.ई (पी एण्ड ए)I-2008/सीसीसी/एल ई 8 (पी सी- VI सं.248 और आर बी ई सं..21/2011) की प्रतिलिपी ।

विषय : महिला रेलवे कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली चाइल्ड केयर लीव के संबंध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भ : इस कार्यालय का दिनांक 04.10.2010 का समसंख्यक पत्र ।

चाइल्ड केयर लीव के संबंध में बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के जारी होने के तत्पश्चात्, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.12.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 13018/1/2010 -इस्ट (लीव) द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसरण में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:

क्र.सं.	मुद्दा	स्पष्टीकरण
1.	क्या किसी भी प्रयोजन के लिए ली गई औसत वेतन छुट्टी को चाइल्ड केयर लीव में बदला जा सकता है? उन आवेदनों पर कैसे कार्रवाई की जाए जिनमें छुट्टी लेने का कारण 'अत्यावश्यक कार्य' दिया गया हो लेकिन आवेदक ने दावा किया हो कि उसने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी का इस्तेमाल किया है ?	चाइल्ड केयर लीव उन महिला कर्मचारियों, जिनके नाबालिक बच्चे हों, को बच्चों के पालन-पोषण अथवा परीक्षा, बीमारी आदि जैसी आवश्यकता में उनकी देखभाल के लिए स्वीकृत की जाती हैं। अतः विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए ली गई औसत वेतन छुट्टी को ही चाइल्ड केयर लीव में बदला जा सकता है ।
2.	क्या दिनों की संख्या अर्थात् 15 दिन से कम तथा अवधियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना ली गई सभी औसत वेतन छुट्टियों को चाइल्ड केयर लीव में बदला जा सकता है? उन मामलों में जिनमें चाइल्ड केयर लीव में अगले वर्ष की अवधि भी शामिल हो (उदाहरण के लिए 27 दिसंबर से 30 दिन की चाइल्ड केयर लीव) क्या छुट्टी एक अवधि के रूप में मानी जाएगी अथवा दो अवधियों के रूप में ?	नहीं । चूंकि इस कार्यालय के दिनांक 04.10.2010 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों का पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, अतः औसत वेतन छुट्टी को चाइल्ड केयर लीव में बदलने के लिए इसमें विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया जाना होगा । उन मामलों में जिनमें छुट्टी में अगले वर्ष की अवधि भी शामिल हो, इसे एक अवधि के रूप

		में उस वर्ष की छुट्टी माना जाएगा जिस वर्ष में छुट्टी शुरू हो रही है।
3.	क्या उन मामलों में जिनमें 3 से अधिक अवधियों में 15 से कम दिन की चाइल्ड केयर लीव ली गई हो, चालू वर्ष की शेष अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव ली जा सकती है ?	नहीं। इस कार्यालय के दिनांक 04.10.2010 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, चाइल्ड केयर लीव 3 से अधिक बार प्रदान नहीं की जा सकती। अतः दिनों की संख्या अथवा चाइल्ड केयर लीव पहले कितनी बार ली गई है, पर ध्यान दिए बिना चाइल्ड केयर लीव 3 बार से अधिक बार लेने की अनुमति न दी जाए। विगत के मामलों को पुनः नहीं खोला जाए।
4.	क्या भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I 1985 संस्करण के नियम 540-ए के अनुसार स्वीकार्य छुट्टी का नकदीकरण चाइल्ड केयर लीव के दौरान भी कराया जा सकता है ?	भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I 1985 संस्करण के नियम 540-ए के अनुसार स्वीकार्य औसत वेतन छुट्टी के नकदीकरण का लाभ चाइल्ड केयर लीव के दौरान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये लीव नाबालिग बच्चों के पालन-पोषण अथवा परीक्षा, बीमारी आदि के दौरान बच्चों की किन्हीं अन्य आवश्यकताओं के विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रदान की जाती है।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

****

WESTERN RAILWAY

P.S.No.30/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No.EP 637/0 Vol.VI

Date: 22.02.2011

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Child Care Leave to female railway employees – Clarification regarding.

==========

A copy of Railway Board's letter No.E(P&A)I-2008/CPC/LE-8 dated 8.2.2011 (PC-VI No.248 and R.B.E.No.21/2011) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 04.10.2010 referred to therein has been circulated vide this office letter dated 20.10.2010 (P.S.151/2010).

Encl: As above.

(S. Kademani)
For General Manager(E)

Copy of Railway Board's letter No.E(P&A)I-2008/CPC/LE-8 dated 8.2.2011 (PC-VI No.248 and R.B.E.No.21/2011) addressed to the General Manager, All Indian Railways and Others.

Sub: Child Care Leave to female railway employees – Clarification regarding.

Ref: This office letter of even number dtd. 04.10.2010.

Subsequent to issue of the instructions contained in Board's above referred letter regarding Child Care Leave (CCL), the following clarifications are issued in pursuance to the clarifications issued by the Department of Personnel &

Training vide their OM No.13018/1/2010-Estt.(Leave) dated 30.12.2010 :-

S.No.	Point	Clarification
1.	Whether Leave on Average Pay availed for any purpose can be converted into Child Care Leave ? How should applications where the purpose of availing leave has been indicated as 'Urgent Work' but the applicant claims to have utilized the leave for taking care of the needs of the child, be treated?	Child Care Leave is sanctioned to women employees having minor children, for rearing or for looking after their needs like examination, sickness etc. Hence Leave on Average Pay availed specifically for this purpose only should be converted.
2.	Whether all Leave on Average Pay availed irrespective of number of days i.e. less than 15 days, and number of spells can be converted? In cases where the CCL spills over to the next year (for example 30 days CCL from 27th December), whether the Leave should be treated as one spell or two spells?	No. As the instructions contained this office letter dated 04.10.2010 ibid have been given retrospective effect, all the conditions specified therein would have to be fulfilled for conversion of the Leave on Average Pay into Child Care Leave. In cases where the leave spills over to the next year, it may be treated as one spell against the year in which the leave commences.
3.	Whether those who have availed Child Care Leave for more than 3 spells with less than 15 days can avail further Child Care Leave for the remaining period of the current year?	No. As per the instructions contained in this office letter dated 04.10.2010 ibid, Child Care Leave may not be granted in more than 3 spells . Hence CCL may not be allowed for more than 3 times irrespective of the number of days or times Child Care Leave has been availed earlier. Past cases may not be reopened.

4	Whether Encashment of Leave admissible in terms of Rule 540-A, Indian Railway Establishment Code, Volume I, 1985 Edition can be availed during Child Care Leave?	The benefit of encashment of Leave on Average Pay admissible in terms of Rule 540-A, Indian Railway Establishment Code, Volume I, 1985 Edition cannot be availed during Child Care Leave as the same is granted for the specific purpose of taking care of a minor child for rearing or for looking after any other needs of the child during examination, sickness etc.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

****